

2026:AHC-LKO:20763

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील सं. - 285/2017

भारत संघ, महाप्रबंधक, उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली के माध्यम से

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

सुनीता देवी और अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : आलोक शर्मा, बलबीर सिंह, श्रीमती सुमन लता सिंहप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार सिंह, अमृता सिंह, पूनम शुक्ला

न्यायालय सं. - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बलबीर सिंह और प्रतिवादियों की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अमृता सिंह की दलीलें सुनीं और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. यह अपील रेलवे दावा अधिकरण, लखनऊ द्वारा वाद संख्या ओए/III/यू/157/09 (श्रीमती सुनीता देवी और अन्य बनाम भारत संघ) में दिनांक 16.12.2016 को पारित निर्णय और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनिर्णय के विरुद्ध दाखिल की गई है, जिसके द्वारा दावाकर्ताओं-प्रतिवादियों के पक्ष में ब्याज सहित 4,00,000/- रुपये का प्रतिकर दिया गया है।

3. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि श्रीमती रजनी यादव दिनांक 02.07.2008 को सियालदह एक्सप्रेस से हरदोई से मुरादाबाद की यात्रा कर रही थीं। यात्रा के दौरान, वह दुर्घटनावश ट्रेन से गिर गईं, उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनका दावा है कि उनके पास एक वैध टिकट था और ऐसा प्रतीत होता है कि वह टिकट इस घटना में कहीं खो गया। मृतक के परिवार के सदस्यों ने रेलवे दावा अधिकरण, लखनऊ के समक्ष एक दावा याचिका दाखिल की। साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मृतक एक वास्तविक यात्री थीं और उनकी मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण लगी चोटों से हुई थी। अधिकरण ने आगे यह भी माना कि यह घटना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-ए सपाठित धारा 123(सी)(2) के अंतर्गत परिभाषित "अप्रत्याशित घटना" के दायरे में आती है। तदनुसार, दिनांक 16.12.2016 के आदेश के माध्यम से, रेलवे दुर्घटनाएं और अप्रत्याशित घटनाएं (प्रतिकर) नियमावली, 1990 की अनुसूची के भाग I (जिसे 1997 में संशोधित किया गया था) के अनुसार, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 4,00,000/- रुपये का प्रतिकर दिया गया। उक्त आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि शव रेलवे पटरियों के बीच पड़ा मिला था और कोई वैध टिकट बरामद नहीं हुआ था। अपीलकर्ता की ओर से कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि अधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता साक्षी-2 की जाँच की गई थी, जिसने गवाही दी कि रेलवे टिकट उसकी उपस्थिति में खरीदा गया था और मृतका ट्रेन में सवार हुई थी। यह तर्क दिया गया कि दुर्घटना के दौरान टिकट खो गया था। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'भारत संघ बनाम रीना देवी [एआईआर 2018 एससी 2362]** वाद में दिए गए निर्णय का हवाला दिया है जिसमें यह माना गया है कि एक बार जब दावा करने वाला व्यक्ति दावा याचिका दाखिल करके और साक्ष्य पेश करके अपना प्रारम्भिक दायित्व पूरा कर देता है, तो यात्री को एक वास्तविक यात्री माना जाता है, भले ही उसके पास टिकट न हो, क्योंकि हो सकता है कि वह टिकट दुर्घटना में खो गया हो। इसके अलावा, यह भी दलील दी गई कि वर्तमान वाद में अपीलकर्ता द्वारा कोई वैधानिक जाँच नहीं की गई थी।

6. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. अपीलकर्ता का यह तर्क कि शव पटरियों के बीच बिना किसी वैध टिकट के मिला था, निराधार है। यह स्पष्ट है कि मृतका सियालदह एक्सप्रेस में सवार हुई थी और हरदोई से मुरादाबाद की यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान, वह ट्रेन से गिर गई, उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। केवल टिकट का खो जाना या वह स्थान जहाँ शव मिला था, इस बात से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता कि मृतका एक वास्तविक यात्री थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **भारत संघ बनाम प्रभाकरन विजया कुमार [(2008) 9 एससीसी 527]** स्पष्ट रूप से निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"12. यह सर्वविदित है कि यदि किसी लाभकारी या कल्याणकारी विधि में प्रयुक्त किए गए शब्दों के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो वह शब्द जो विधि के उद्देश्य के अनुरूप हो और उस व्यक्ति के लाभ के लिए हो जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, लाभकारी या कल्याणकारी विधियों का अर्थ उदार होना चाहिए, न कि शाब्दिक या कठोर। एलेम्बिक केमिकल वर्क्स कंपनी लिमिटेड बनाम वर्कमैन [एआईआर 1961 एससी 647] (एआईआर अनुच्छेद 7), जीवनलाल लिमिटेड बनाम अपीलीय प्राधिकारी [एआईआर 1984 एससी 1842] (एआईआर अनुच्छेद 11), ललप्पा लिंगप्पा बनाम लक्ष्मी विष्णु टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड [एआईआर 1981 एससी 852] (एआईआर अनुच्छेद 13), एस.एम. निताजकर बनाम टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर [(2003) 4 एससीसी 27 (एससीसी अनुच्छेद 12) देखें।

14. हमारी राय में, यदि हम रेलवे अधिनियम की धारा 123(सी) में दिए गए वाक्यांश "यात्रियों को ले जा रही ट्रेन से किसी यात्री का आकस्मिक गिरना" का कोई सीमित अर्थ अपनाते हैं, तो हम बड़ी संख्या में रेलवे यात्रियों को रेलवे दुर्घटनाओं में प्रतिकर पाने से वंचित कर देंगे। यह सविविदित है कि हमारे देश में करोड़ों लोग रेलवे ट्रेनों से यात्रा करते हैं, क्योंकि हर कोई हवाई यात्रा या व्यक्तिगत कार से यात्रा करने का खर्च वहन नहीं कर सकता। इस वाक्यांश को एक सीमित और संकीर्ण अर्थ देने से, हम ट्रेन दुर्घटनाओं के बड़ी संख्या में पीड़ितों (विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों) को रेलवे अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर पाने से वंचित कर देंगे। इसलिए, हमारी राय में, वाक्यांश "यात्रियों को ले जा रही ट्रेन से किसी यात्री का आकस्मिक गिरना" में वे दुर्घटनाएँ भी शामिल हैं, जब कोई वास्तविक यात्री अर्थात् वैध टिकट या पास के साथ यात्रा कर रहा कोई यात्री रेलवे ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा हो और इस प्रक्रिया के दौरान नीचे गिर जाए। दूसरे शब्दों में, इस वाक्यांश की व्याख्या शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

15. रेलवे अधिनियम की धारा 2(29) में "यात्री" को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वैध पास या टिकट के साथ यात्रा कर रहा हो। रेलवे अधिनियम की धारा 123(सी) में "अप्रत्याशित घटना" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसमें यात्रियों को ले जा रही ट्रेन से किसी भी यात्री का आकस्मिक

रूप से गिरना शामिल है। रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए, जिससे हमारा संबंध है, में यह कहा गया है:

"124-ए. अप्रिय घटनाओं के कारण प्रतिकर - जब रेलवे के संचालन के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित होती है, तो चाहे रेलवे प्रशासन की ओर से कोई गलत कार्य, उपेक्षा या चूक हुई हो या न हुई हो जिसके आधार पर कोई घायल यात्री, या किसी मृत यात्री का आश्रित, वाद दाखिल करके प्रतिकर पाने का हकदार हो तब भी रेलवे प्रशासन, किसी अन्य विधि में कही गई किसी भी बात के बावजूद, ऐसी अप्रिय घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की मृत्यु या चोट से हुई हानि के लिए, केवल उतनी ही सीमा तक प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा, जितनी सीमा निर्धारित की गई हो:

बशर्ते कि इस धारा के अधीन रेलवे प्रशासन द्वारा कोई प्रतिकर तब देय नहीं होगा, यदि यात्री की मृत्यु हो जाती है या उसे निम्नलिखित कारणों से चोट लगती है—

(a) उसके द्वारा आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास;

(b) स्वयं को पहुंचाई गई चोट;

(c) उसका अपना कोई आपराधिक कृत्य;

(d) नशे या पागलपन की अवस्था में उसके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य;

(e) कोई भी प्राकृतिक कारण, बीमारी, या चिकित्सीय अथवा शल्य-चिकित्सीय उपचार; बशर्ते कि ऐसा उपचार, उक्त अप्रिय घटना के कारण लगी चोट के चलते आवश्यक न हो गया हो।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'यात्री' में निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) झूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी; और

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी तिथि को यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन से यात्रा करने के लिए वैध टिकट या वैध प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा हो और किसी अप्रिय घटना का शिकार हो जाए।"

(ज़ोर दिया गया)"

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के मददेनजर, यह स्पष्ट है कि श्रीमती रजनी यादव की मृत्यु, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124-ए सपठित धारा 123(सी)(2) के अंतर्गत "अप्रत्याशित घटना" की परिभाषा के दायरे में पूरी तरह से आती



है। तदनुसार, अधिकरण ने उचित रूप से प्रतिकर प्रदान किया। वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है और इसलिए, इसे **खारिज** किया जाता है।

9. आवश्यक अनुपालन के लिए, इस निर्णय की एक प्रति के साथ अभिलेख संबंधित न्यायालय को लौटा दिया जाए। यदि कोई वैधानिक राशि जमा की गई है, तो उसे समायोजन के लिए विद्वान अधिकरण को वापस भेज दिया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

23 मार्च 2026

सौरभ यादव/